रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 394] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 7, 2019/कार्तिक 16, 1941
No. 394] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 7, 2019/KARTIKA 16, 1941

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (2009 का 25) द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय]

अधिसूचना

बिलासपुर, 4 नवम्बर, 2019

क्र. सं. 309/अकादमी/2019.—केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (2009 का पच्चीसवां) की धारा 27 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, कार्यपरिषद, कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से, एतद्द्वारा निम्नानुसार परिनियम 02 (4) में संशोधन तथा नये परिनियमों (यथा परिनियम 40, 48 एवं 49) का निर्माण करती है ;

1 संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

(1) इन परिनियमों को गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (संशोधन) परिनियम, 2019 कहा जा सकेगा।

(2) ये परिनियम अधिकृत राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभाव में आयेंगे।

2 गुरु घासीदास विश्वविद्यालय परिनियमों के परिनियम 2 की कंडिका (4) के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित की जाय, अर्थात् :

''(4) कुलपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और वह एक और पदावधि की पुर्ननियुक्ति के लिये पात्र होगा।

परंतु पांच वर्षो की उक्त अवधि की समाप्ति पर भी, वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तरवर्ती नियुक्त नहीं किया जाता है और वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है :

परंतु यह और कि कुलाध्यक्ष यह निदेश दे सकेगा की ऐसा कोई कुलपति, जिसकी पदावधि समाप्त हो गई है, कुल मिलाकर एक वर्ष से अनाधिक की ऐसी अवधि तक, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, पद पर बना रहेगा।

3 गुरु घासीदास विश्वविद्यालय परिनियमों में, परिनियम 39 के पश्चात, निम्नलिखित परिनियम स्थापित किए जाएं, अर्थात् ;

''40 (1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित विद्यापीठें होंगी –

क्र. सं.	विद्यापीठ का नाम
1	कला विद्यापीठ
2	सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
3	जीव विज्ञान विद्यापीठ
4	भौतिक विज्ञान विद्यापीठ
5	प्राकृतिक संसाधन विद्यापीठ
6	गणितीय और संगणक विज्ञान विद्यापीठ
7	वाणिज्य और प्रबंधन विद्यापीठ
8	अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी विद्यापीठ
9	विधि विद्यापीठ
10	शिक्षा विद्यापीठ
11	अंतरविषयक शिक्षा और अनुसंधान विद्यापीठ
12	ऐसी अन्य विद्यापीठें जिन्हें समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया जाये

40 (2) विश्वविद्यालय के निम्नलिखित विभाग होंगे –

क्र. सं.	विभाग का नाम
1	अंग्रेजी और विदेशी भाषा विभाग
2	हिंदी विभाग
3	पत्रकारिता और जन संचार विभाग
4	पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विभाग
5	दर्शन और धर्म विभाग
6	संस्कृत विभाग
7	रासायनिक अभियांत्रिकी विभाग
8	सिविल अभियांत्रिकी विभाग
9	संगणक विज्ञान और अभियांत्रिकी विभाग
10	इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी विभाग
11	औद्योगिक और उत्पादन अभियांत्रिकी विभाग
12	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
13	यांत्रिकीय अभियांत्रिकी विभाग
14	विधि विभाग
15	मानव विज्ञान और जनजातीय विकास विभाग
16	वनस्पति विभाग
17	जैव प्रौद्योगिकी विभाग
18	जैव–रसायन विभाग
19	न्यायालयिक विज्ञान विभाग
20	सूक्ष्म जैविकी विभाग
21	प्राणी विज्ञान विभाग
22	वाणिज्य विभाग
23	प्रबंध अध्ययन विभाग
24	जैविक–सूचना विज्ञान विभाग
25	संगणक विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

26	सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान विभाग
27	गणित विभाग
28	सांख्यिकी विभाग
29	वानिकी, वन्यजीवन और पर्यावरण विज्ञान विभाग
30	भेषजी विभाग
31	ग्रामीण प्रौद्योगिकी और सामाजिक विकास विभाग
32	जैव—भौतिकी विभाग
33	रासायन विज्ञान विभाग
34	इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग
35	भूविज्ञान विभाग
36	भू—भौतिकी विभाग
37	शुद्ध और अनुप्रयुक्त भौतिकी विभाग
38	अर्थशास्त्र विभाग
39	भूगोल विभाग
40	इतिहास विभाग
41	गृह विज्ञान विभाग
42	राजनीति विज्ञान विभाग
43	मनोविज्ञान विभाग
44	सामाजिक कार्य विभाग
45	समाजशास्त्र विभाग
46	शिक्षा विभाग
47	शारीरिक शिक्षा विभाग
48	ऐसे अन्य विभाग जिन्हें समय—समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया जाये।

48. अकादमिक योजना, विकास और निगरानी बोर्ड (ए.पी.डी.एम.बी) का गठन, शक्तियां और कर्तव्य निम्नानुसार होंगे।

1. केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 और इसके अन्तर्गत बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, नियमों और विनियमों, में अन्यथा वर्णित के सिवाय, अकादमिक योजना, विकास और निगरानी बोर्ड विश्वविद्यालय के समग्र शैक्षणिक योजना और विकास पर, जिसमें विद्यापीठों, विभागों, केंद्रों, हॉलों, महाविद्यालयों और संस्थानों, यदि कोई हों, जो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जा रहे हों या संचालित किये जाने हों, की स्थापना और उन्मूलन को समाहित करते हुए, कुलपति अथवा विद्या परिषद् और कार्य परिषद् को सलाह देंगा।

2. अकादमिक योजना, विकास और निगरानी बोर्ड (ए.पी.डी.एम.बी) में निम्नलिखित सदस्य होंगे, यथा ;

1	कुलपति	पदेन अध्यक्ष
2	समस्त विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष	पदेन सदस्य
3	अधिष्ठाता छात्र कल्याण	पदेन सदस्य
4	आंतरिक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रकोष्ठ के निदेशक/समन्वयक	पदेन सदस्य
5	परीक्षा नियंत्रक, वित्ताधिकारी, ग्रंथपाल, अभियंता और प्रभारी अधिकारी विकास अनुभाग	पदेन सदस्य
6	कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट कार्यपरिषद के दो सदस्य	सदस्य
7	कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट वित्त समिति का एक सदस्य	सदस्य
8	कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट भवन समिति का एक सदस्य	सदस्य
9	कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट आंतरिक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रकोष्ठ से एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	सदस्य

10	विद्या परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट छह शिक्षक, जिनमें प्रत्येक स्तर से कम से कम एक शिक्षक हों	सदस्य
11	प्रत्येक में से एक प्रतिनिधि, उप सचिव के पद से नीचे का नहीं, (अ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार (ब) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (स) उच्च शिक्षा / विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य शासन	सदस्य
12	कार्यपरिषद द्वारा नामित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र के तीन प्रतिष्ठित व्यक्ति	सदस्य
13	कुलसचिव	पदेन सदस्य–सचिव

3. अकादमिक योजना, विकास और निगरानी बोर्ड के सदस्यों की पदावधि (पदेन सदस्यों को छोड़ कर) तीन वर्ष होगी। सदस्यों की आधी संख्या से बैठकों की गणपूर्ति होगी।

4. अकादमिक योजना, विकास और निगरानी बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, यथा ;

(i) विश्वविद्यालय के समग्र शैक्षणिक योजना और विकास पर, जिसमें विद्यापीठों, विभागों, केंद्रों, हॉलों, महाविद्यालयों और संस्थानों, यदि कोई हों, जो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जा रहे हों या संचालित किये जाने हों, की स्थापना और उन्मूलन को समाहित करते हुये, कुलपति / विद्या परिषद् और कार्य परिषद् को सलाह और अनुशंसा देना ;

(ii) विश्वविद्यालय की अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं का निर्माण और निगरानी करना ;

(iii) विश्वविद्यालय की योजनाओं के नियोजन और निगरानी के लिए, जैसा आवश्यक हो, ऐसी समितियों का गठन और सलाह देना ;

(iv) विश्वविद्यालय की योजनाओं की प्रगति का आवधिक मूल्यांकन करना ;

(v) शैक्षणिक एवं अन्य अकादमिक पदों के सृजन और ऐसे पदों के कर्तव्यों के निर्धारण के लिये प्रस्तावों की पहल करना ;

(vi) विश्वविद्यालय में स्थापित होने वाले नए शैक्षिक कार्यक्रमों हेतु सुझाव और सलाह देना ;

(vii) भारत सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर, जैसा समय समय पर निर्दिष्ट किया जाये, सुझाव और सलाह देना ;

(viii) विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों और विद्यापीठों के कार्यों का समय–समय पर मूल्यांकन, निगरानी और सलाह देना ;

(ix) ऐसे अन्य कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन, जो कि कुलपति/विद्या परिषद्/कार्य परिषद् द्वारा समय समय पर, नियत किए जायें।

49. विश्वविद्यालय के एक अधिकारी के रूप में अधिष्ठाता छात्र कल्याण की नियुक्ति, निम्नानुसार होगी,

(1) अधिष्ठाता, छात्र कल्याण (डी.एस.डब्ल्यू) आचार्य के वेतनमान और पद में विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और कुलपति की अनुशंसा पर कार्यपरिषद द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यदि पूर्णकालिक अधिष्ठाता, छात्र कल्याण (डी.एस.डब्ल्यू) की नियुक्ति नहीं की गई है और वर्तमान कार्यरत किसी आचार्य को शिक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों के अलावा अधिष्ठाता छात्र कल्याण (डी.एस.डब्ल्यू) के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियत किया गया है, तो ऐसे मामले में, कार्य परिषद् उन्हें उचित भत्ता स्वीकृत कर सकती है ;

(2) परंतु कार्य परिषद्, अधिष्ठाता छात्र कल्याण (डी.एस.डब्ल्यू) के कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए, एक शिक्षक, सह–आचार्य के पद से नीचे नहीं, को कुलपति की अनुशंसा पर नियुक्त कर सकती है, और ऐसे मामले में शिक्षक के रूप में उनके कर्तव्यों के निर्वहन के अतिरिक्त कर्तव्य निर्वहन हेतु कार्य परिषद् उन्हें उचित भत्ता स्वीकृत कर सकती है ;

(3) अधिष्ठाता छात्र कल्याण (डी.एस.डब्ल्यू.) तीन वर्ष की पदावधि के लिए पद धारण करेगा और पुर्ननियुक्ति के लिए पात्र होगा ;

(4) यदि विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक को अधिष्ठाता छात्र कल्याण (डी.एस.डब्लू.) के रूप में पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाता है, तो वह अपने वास्तविक पद पर अपना धारणाधिकार जारी रखेगा और अन्य सभी लाभों कों जो उसे अन्यथा अर्जित होते, जो अधिष्ठाता छात्र कल्याण (डी.एस.डब्लू.) के रूप में नियुक्ति से पहले मिलते, के लिये योग्य होगा ;

(5) जब अधिष्ठाता छात्र कल्याण का कार्यालय रिक्त हो या जब अधिष्ठाता छात्र कल्याण बीमारी या अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने कार्यालय के कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ हो, तो उसके कार्यालय के कर्तव्यों का निवर्हन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसे कुलपति द्वारा इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किया जाये ;

(6) अधिष्ठात छात्र कल्याण के कार्यों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।''

प्रो. शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव

[विज्ञापन–III/4/असा./281/19]

टीप. 1 : मूल परिनियमों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (2009 का संख्यांक 25) की द्वितीय अनुसूची में प्रथमतः यथावर्णित और अधिनियमित किया गया और अधिसूचना क्रमांक 144/कुलसचिव/2012 दिनांक 11.09.2012 के द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया।

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR

[A Central University established by the Central Universities Act, 2009 (No.25 of 2009)]

NOTIFICATION

Bilaspur, the 4th November, 2019

S. No. 309/Academic/2019.—In exercise of the powers conferred by Sub Section (2) of Section 27 of the Central Universities Act, 2009 (25 of 2009), the Executive Council, with the approval of the Hon'ble Visitor, hereby makes the following amendments in Statute 2 (4) and frames new Statutes, [namely, Statutes 40, 48 & 49] as follows :

1. **Short title and Commnencement :**

(1) These Statutes may be called as Guru Ghasidas Vishwavidyalaya (Amendment) Statutes, 2019.

(2) It shall come in force on the date of its publication in the official Gazette.

2. In Guru Ghasidas Vishwavidyalaya Statutes, in Statute 2 for Clause (4), the following shall be substituted, namely :

"(4) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he/she enters upon his office, or until he/she attains the age of seventy years, whichever is earlier, and he/she shall be eligible for re-appointment for another term;

Provided that notwithstanding the expiry of the said period of five years, he/she shall continue in office until his/her successor is appointed and enters upon office:

Provided further that the Visitor may direct any Vice-Chancellor after his/her term has expired, to continue in office for such period, not exceeding a total period of one year, as may be specified by him".

3. In Guru Ghasidas Vishwavidyalaya Statutes, after Statute 39, the following Statutes shall be inserted, namely;

"40 (1) The University shall have following Schools of Studies-

Sl.No.	Name of the School of Studies
1.	School of Studies of Arts
2.	School of Studies of Social Science
3.	School of Studies of Life Sciences

4.	School of Studies of Physical Science
5.	School of Studies of Natural Resources
6.	School of Studies of Mathematical and Computational Science
7.	School of Studies of Commerce and Management
8.	School of Studies of Engineering and Technology
9.	School of Studies of Law
10.	School of Studies of Education
11.	School of Studies of Interdisciplinary Education and Research
12.	Such other Schools of Studies as may be established by the Vishwavidyalaya from time to time.

40 (2) The University shall have following departments –

Sl.No.	Name of the Departments
1.	Department of English and Foreign Languages
2.	Department of Hindi
3.	Department of Journalism and Mass Communication
4.	Department of Library and Information Science
5.	Department of Philosophy and Religion
6.	Department of Sanskrit
7.	Department of Chemical Engineering
8.	Department of Civil Engineering
9.	Department of Computer Science and Engineering
10.	Department of Electronics and Communication Engineering
11.	Department of Industrial and Production Engineering
12.	Department of Information Technology
13.	Department of Mechanical Engineering
14.	Department of Law
15.	Department of Anthropology and Tribal Development
16.	Department of Botany
17.	Department of Bio Technology
18.	Department of Bio-Chemistry
19.	Department of Forensic Science
20.	Department of Micro Biology
21.	Department of Zoology
22.	Department of Commerce
23.	Department of Management Studies
24.	Department of Bio-Informatics

25.	Department of Computer Science and Information Technology
26.	Department of Information Technology Sciences
27.	Department of Mathematics
28.	Department of Statistics
29.	Department of Forestry, Wildlife and Environmental Sciences
30.	Department of Pharmacy
31.	Department of Rural Technology and Social Development
32.	Department of Bio-Physics
33.	Department of Chemistry
34.	Department of Electronics
35.	Department of Geology
36.	Department of Geo-Physics
37.	Department of Pure and Applied Physics
38	Department of Economics
39.	Department of Geography
40.	Department of History
41.	Department of Home Science
42.	Department of Political Science
43.	Department of Psychology
44.	Department of Social Work
45.	Department of Sociology
46.	Department of Education
47.	Department of Physical Education
48.	Such other departments as may be established by the Vishwavidyalaya from time to time.

48. Constitution, Powers and Duties of the Academic Planning, Development and Monitoring Board (APDMB) shall be as follows :-

(1). Save as otherwise provided in The Central Universities Act, 2009 and the Statutes, Ordinances, Rules and Regulations made thereunder, the Academic Planning, Developement and Monitoring Board shall advice the Vice-Chancellor or Academic Council and Executive Council on overall academic planning and development of the Viswavidyalaya including establishment and abolition of various Schools, Departments, Centres, Halls, Colleges and Institutions, if any, running or to be run by the Vishwavidyalaya.

(2) The Academic Planning, Developement and Monitoring Board (APDMB) shall consist of the following members, namely;

1.	Vice-Chancellor	Ex-officio Chairman
2.	All Deans of Schools of Studies	Ex-officio Members
3.	Dean of Students' Welfare	Ex-officio Member
4.	Director / Co-Ordinator Internal Quality Assessment Cell	Ex-officio Member
5.	Controller of Examinations, Finance Officer, Librarian, Engineer & Officer Incharge Developement Section	Ex-officio Members
6.	Two members of the Executive Council nominated by the Vice-Chancellor	Members
7.	One member of the Finance Committee nominated by the Vice-Chancellor	Member
8.	One member of the Bulding Committee nominated by the Vice-Chancellor	Member
9.	One senior Administrative Officer from the Internal Quality Assessment Cell nominated by the Vice-Chancellor	Member
10.	Six Teachers to be nominated by the Academic Council with at least one teacher from each rank	Members
11.	One representative, not below the rank of Deputy Secretary, each from the - (a) Ministry of Human Resource Development, Government of India (b) University Grants Commission (c) Department of Higher Education / Science & Technology, State Government of Chhattisgarh	Members
12.	Three eminent persons from the field of Science & Technology, Education & Indusrty to be nominated by the Executive Council	Members
13.	Registrar	Ex-officio Member Secretary

(3) The term of members (other than ex-officio members) of the Academic Planning, Developement and Monitoring Board shall be three years. Half of the members shall form the quorum for meetings.

(4) The Academic Planning, Developement and Monitoring Board shall have the following powers and duties, namely;

(i) to advice and recommend the Vice-Chancellor / Academic Council and Executive Council on overall academic planning and development of the Vishwavidyalaya including establishment and abolition of various Schools, Departments, Centres, Halls, Colleges and Institutions, if any, running or to be run by the University;

(ii) to prepare and monitor the short term and long term plan of the Vishwavidyalaya;

(iii) to advise and constitute such committees as may be necessary for planning and monitoring of the plans of the Vishwavidyalaya;

(iv) to evaluate, periodically, the progress of the plans of the Vishwavidyalaya;

(v) to initiate proposals for creation of teaching and other academic posts and prescribing the duties of such posts;

(vi) to suggest and advice new academic programmes to be established in the Vishwavidyalaya;

(vii) to suggest and advice on implementation of various schemes of Government of India/University Grants Commission as instructed from time to time;

(viii) to evaluate, monitor and advice, from time to time, on the working of the Vishwavidyalaya Teaching Departments and Schools of Studies;

(ix) to perform such other functions and duties as may be assigned by the Vice-Chancellor/Academic Council/Executive Council from time to time.

49. Appointment of Dean of Students' Welfare as an Officer of the Vishwavidyalaya, shall be as follows:-

(1) Dean of Students' Welfare (DSW) shall be full-time salaried officer of the Vishwavidyalaya in the pay and rank of the Professor and shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of the Vice-Chancellor. If full time DSW is not appointed and the incumbent Professor is assigned to discharge the duties of DSW in addition to his/her duties as teacher, in such case, the Executive Council may sanction a suitable allowance to be paid to him/her;

(2) Provided that the Executive Council may, appoint on the recommendation of the Vice-Chancellor, a teacher, not below the rank of an Associate Professor, to discharge the duties of the Dean of Students' Welfare (DSW), in addition to his/her duties as teacher, and in such case, the Executive Council may sanction a suitable allowance to be paid to him/her;

(3) The Dean of Students' Welfare (DSW) shall hold office for a term of three years and shall be eligible for re-appointment;

(4) If a teacher of the Vishwavidyalaya is appointed as a Dean of Students' Welfare (DSW) on full time basis, he/she shall continue to hold his/her lien on his/her substantive post and shall be eligible to all the benefits that would have otherwise accrued to him/her, but for his/her appointment as the Dean of Students' Welfare;

(5) When the office of a Dean of Students' Welfare is vacant or when the Dean of Students' Welfare is by reason of illness or absence or any other cause, unable to perform the duties of his/her office, the duties of the office of the Dean of Students' Welfare (DSW) shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose;

(6) The functions, duties and responsibilities of Dean of Students' Welfare shall be prescribed by the Ordinances."

Prof. SHAILENDRA KUMAR, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./281/19]

Note 1 : The Principal Statutes were first enacted and set out as the Second Schedule to The Central Universities Act, 2009 (No. 25 of 2009) and last amended vide notification No. 144/Registrar/2012 dated 11.09.2012.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.11.08 22:11:06 +05'30'